

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

39

संलग्नक सं०-2.33

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

(महेन्द्र कुमार)
अधिशायी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

(दीपक कुमार जोशी)
सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

(पूजा विष्ट)
कनिष्ठ अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

(भूपाल सिंह विष्ट)
उपप्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

(एम०आर० आर्या)
वन क्षेत्राधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

(वन्दना सिंह)
जिला प्रशासक,
अल्मोड़ा।

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिला प्रशासक,
अल्मोड़ा।

(तहसीलदार, नदरा)
अल्मोड़ा।

(राजेश्वर)
राजस्व उप निरीक्षक,
नदरा।

(निरीक्षक)
निरीक्षक/जिला-अल्मोड़ा